(IREDA) and Canara Bank. Under the scheme, IREDA provides soft loans for industrial and institutional systems directly (at interest rates of 8.3% to industries and 5% to non-profit making organisations respectively) and for domestic systems through its financial intermediaries (at a maximum rate of 5% to end users). Canara Bank provides soft loans for domestic users and small establishments at an interest rate of 5.5%. The Canara Bank scheme is at present operational in Bangalore, Mangalore, Mysore, Delhi, Madras and Pune only. Further, a rebate of 0.5% on the above interest rates is available for installation of BIS (Bureau of Indian Standards) approved solar collectors. The interest subsidy scheme is also applicable to solar driers, solar stills for water purification etc. through IREDA.

(c) Solar water heating is a well established technology in many parts of the world. In some countries, there are even mandatory provisions for using solar water heaters in residential buildings. In India also, the technology is considered to be reasonably well established. The economic viability of domestic solar water heaters which usually replace use of electricity is well recognised. From the national point of view, savings in conventional fuels and significant reduction in peak load demands of electricity with wider use of solar water heaters, result in substantial savings in investments required for additional generating capacity. Environmental benefits are added advantages.

Construction of roads in Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan

159. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of RURAL AREAS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the details of the centrally sponsored schemes for construction of roads in Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan during the last three years;

(b) the central funds allocated to those States in each year during this period;

(c) the annual outlay for the schemes for these States during 1995-96 and 1996-97; and

(d) the steps being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VARMA): (a) to (d) This Ministry is not implementating any scheme for construction of roads in Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan. However, one Centrally Sponsored Sheme, viz: 'Roads in Special Problem Areas of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan' is being implemented for construction of roads in specific areas, i.e. dacoity infested areas of these three States. Central funds available during each year are allotted to these States in the ratio of 48% to Uttar Pradesh, and 26% each to Madhya Pradesh and Rajasthan. The annual outlay to these States during 1994-95 to 1996-97 is given in the Statement. (See below) The implementation of this Centrally Sponsored Scheme is monitored by the Government.

Statement

National outlay to states during last three years for construction of roads

State	1994-95 Outlay/ Allocation	1995-96 Outlay/ Allocation	1996-97 Outlay/ Allocation
Uttar Pradesh	0.96	0.96	0.96
Madhya Pradesh	0.52	0.52	0.52
Rajasthan	0.52	0.52	0.52
TOTAL:	2.00	2.00	2.00

पेट्रोल पंप/एल॰पी॰जी॰ एजेन्सियों हेतु मानदंड

160. श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोल/डीजल विक्रय केन्द्रों और एल॰पी॰जी॰ एजेन्सियां खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) आबंटितियों के संबंध में पात्रता शर्तों और अन्य मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन श्रेणियों और व्यक्तियों के लिए विशेष विवेकाधीन कोटा निर्धारित किया गया है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात और अन्य राज्यों में ऐसे कितने केन्द्र खोले गए हैं; और

(ड़) क्या यह सच है कि पेट्रोल, डीजल और एल॰पी॰जी॰ विक्रय केन्द्र मात्रा और दूरी के आधार पर खोले जाते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालु): (क) और (ड़) वर्तमान नीति के अनुसार पेट्रोल/डीजल की खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप, तेल उद्योग द्वारा अनुपालन किए जा रहे मात्रा दूरी मानकों को पूरा करने वाले स्थानों पर खोले जाते हैं। इसी प्रकार एल॰पी॰जी॰ डिस्ट्रीब्यूटरशिप 10,000 और अधिक की जनसंख्या वाले केंस्बों में चरणबद्ध ढंग से खोलने की योजना बनाई जाती है बशर्ते कि 15 कि॰मी॰ के अर्धव्यास के भीतर पड़ने वाले निकटवर्ती गावों सहित उक्त कस्बे की संभाव्यता, व्यवहार्य डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चलाए रखने के लिए पर्याप्त हो। डीलरशिपों/ डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को खोलने में आवश्यक आधारभूत सिद्धान्त उक्त क्षेत्र में प्रचातनरत मौजूदा डीलरों/डिस्ट्रब्यूटरों की आर्थिक व्यवहार्यता को प्रभावित किए बिना उत्पादों की आसान उपलब्धता के लिए कार्यतंत्र का विस्तार करना है।

(ख) सामान्य चयन प्रक्रिया के माध्यम से डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्राप्त करने के लिए पात्रता शर्तें नीचे दी गई हैं:-

	राष्ट्रीयता	- भारतीय
	आयु	- अनु॰ जाति/ज॰जा॰/शारीरिक रूप से विकलांगों, रक्षा और सामान्य श्रेणियों के लिए 21—50 वर्ष - उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 35 वर्ष और अधिक। - स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।
	शैक्षणिक योग्यताएं	
(1)	अनु॰ जाति/जनजाति, शारीरिक विकलांग रक्षा और सामान्य श्रेणी	- मैट्रीकुलेशन अथवा समकक्ष
(2)	स्वतंत्रता सेनानी और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की श्रेणी	- लागू नहीं
	आय	
	व्यक्ति	- 50,000/- रूपये प्रतिवर्ष
	सहकारी समितियां	- कोई सीमा नहीं।
	निवास	
(1)	अनु॰ जाति/जनजाति और शारीरिक रूप से विकलांगों की श्रेणी में शारीरिक विकलांगों के लिए	- संबंधित जिले को वरीयता देते हुए विज्ञापन में किए गए उल्लेख के अनुसार निकटवर्ती जिलों के निवासी।
(2)	स्वतंत्रता सैनानी और सामान्य श्रेणियां	- संबंधित जिले के निवासी।
(3)	रक्षा, उत्कृष्ट खिलाड़ी और शारीरिक विकलांगों की श्रेणी में शारीरिक रूप से विकलांगों के अलावा अन्य	- संबंधित राज्य के किसी भी जिले के निवासी।

रिश्तेदारी

ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई नई डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं दी जाएगी जिसे स्वयं को अथवा जिसके किसी निकट संबंधी (सौतेले रिश्तेदारों सहित) को किसी भी तेल कंपनी के किसी पेट्रोलियम उत्पाद की पहले से कोई डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्राप्त हो।

(ग) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 31.3.95 के आदेश में अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार सरकार की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आबंटन निम्नलिखित श्रेणियों को किया जा सकता है: —

(1) उस व्यक्ति का आश्रित जिसने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया हो परन्तु जिसका अभी तक उचित रूप से पुनर्वास न किया गया हो।

(2) किसी ऐसे परिवार का सदस्य, जो आतंकवादियों के आक्रमण, भूकंप, बाढ़ आदि जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का शिकार रहा हो।

(3) शरीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति।

(4) प्रतिरक्षा/अर्द्ध सैनिक/पुलिस कर्मी/अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारी जो ड्यटी के समय स्थायी रूप से अपंग हो गए हों।

(5) असामान्य परिस्थितियों में प्राण गंवाने वालों के निकटतम संबंधी अर्थात् विधवा, माता-पिता और संतान।

(6) कठिन परिस्थितियों में रह रहे उत्कृष्ठ खिलाड़ियों, संगीतकारों, साहित्यकारों आदि जैसे विख्यात पेशेवर व्यक्ति और उच्च उपलब्धि प्राप्त महिलाएं।

(7) बेहद दुख-तकलीफ के विशिष्ट मामले, जो सरकार की राय में अत्यंत मार्मिक हैं और किसी समय पर मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए जिन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत सरकार द्वारा 169 खुदरा बिक्री केन्द्र और 137 एल॰पी॰जी॰ डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप आबंटित की गई थी। इनमें गुजरात राज्य में दो खुदरा बिक्री केन्द्र और एक एल॰पी॰जी॰ डिस्ट्रीब्यूटरशिप शामिल हैं।

Gas Pipeline project between India and Iran

161. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether India and Iran have identified hydrocarbons and transport sector as immediate areas for cooperation in implementation of the 2000 km. gas pipeline project between the two countries;

(b) if so, whether any MOU has been signed for the same between both the countries recently; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BALLU): (a) to (c) An MOU was signed between India and Iran in July, 1993 followed by another MOU signed in November, 1993 for the import of 50-75 MMSCMD of natural gas from Iran to India through a pipeline.

Additional gas connections to gas agencies

162. SHRI RAMJI LAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of gas agencies which have been allocated additional gas connections above the ceiling limit, with a view to clear the waiting list, State-wise and year-wise, during the last three years;

(b) the number of applications received in this regard during the last six months, State-wise;

(c) the steps taken to allocate fresh connections in respect of such applications; and

(d) the criteria being followed in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS (SHRI T. R. BAALU): (a) 683 LPG distributorship operating above the ceiling limit have been allotted additional gas connections during the last three years.

(b) to (d) Due to product constraint and the large number of distributorships operating below viability level, new connections are not